

8
2022


निर्दिष्ट दि. 3/6/22

आदेश

कायलिय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भूपालसागर

प्रार्थी के खाला दुकसरी प्रार्थना पत्र अनुसार एवं पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार की रजिस्ट्रेशन नुमांदा रबीकार की जाती है एवं तहसीलदार की अनुशांघ के आधार पर राजस्थान नू राजस्थान अधिनियम, 1058 की धारा 138 के अधधीन मौजा उसरीज पटवार इल्का उसरीज तहसील भूपालसागर की जामबंदी सम्वत् 2075-78 के खाला रंख्या 23, 7, 6, 361 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में जामल दरमाद विषये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम	खाला रंख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि)
<u>उसरीज</u>	<u>23, 7, 6, 361</u>	<u>जसि - चमट</u>	<u>जसि खूवा</u>



(पावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला-दिल्लीहाद (राज.)
भूपालसागर

